



भारत सरकार  
Government of India  
विद्युत मंत्रालय  
Ministry of Power  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण  
Central Electricity Authority  
राजभाषा अनुभाग  
Rajbhasha Anubhag

सं. 11014/1/2020-रा.भा.

दिनांक: 07.07.2020


परिपत्र

**विषय:** राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट भेजने के संबंध में।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट देय हो गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक समाप्त तिमाही अवधि की हिंदी तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में भरकर राजभाषा अनुभाग को दिनांक 17 जुलाई, 2020 तक ई-मेल द्वारा (स्कैन कॉपी) भेजने का कष्ट करें जिससे कि सभी प्रभागों/अनुभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों को समेकित कर के.वि.प्रा. की हिंदी तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में समयानुसार भेजी जा सके।



  
(उषा वर्मा) 7/7/2020

सहायक निदेशक (राजभाषा)

के.वि.प्रा. के सभी प्रभाग/अनुभाग

के.वि.प्रा. के सभी अधीनस्थ कार्यालय

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. उपनिदेशक (सू.प्रौ.) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुभाग/प्रभागमें राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी प्रपत्र .....को समाप्त तिमाही

**भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)**

अनुभाग/प्रभाग का नाम : .....

**1. तिमाही के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात**

- (क) जारी कुल कागजात की संख्या : .....
- (ख) इनमें से कितने द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) जारी किए गए : .....
- (ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए कागजात : .....

\*इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, प्रेस विज्ञप्तियां, लाईसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, संसद के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज, प्रशासनिक रिपोर्ट (केवल 14 दस्तावेज) शामिल हैं। इन दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में भेजा जाना सांविधिक अपेक्षा है। सामान्य पत्राचार को कॉलम 4 के अंतर्गत दर्शाएं।

**2. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम-5)**

- (क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्र : .....
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए : .....
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए : .....
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे : .....

\*राजभाषा नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में दिए जाने चाहिए।

**3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने/ की स्थिति**

	अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से				

#### 4. भेजे गए कुल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	कुल पत्रों की संख्या	भेजे गए पत्रों में से हिंदी/द्विभाषी पत्रों की प्रतिशतता	
				पिछली तिमाही में	इस तिमाही में
	1	2	3	4	5
'क' क्षेत्र को भेजे गए पत्र					
'ख' क्षेत्र को भेजे गए पत्र					
'ग' क्षेत्र को भेजे गए पत्र					

'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य -दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान व निकोबार (लक्ष्य: 100%)

'ख' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य -गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली (लक्ष्य: 100%)

'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य - वे सभी राज्य जिनका उल्लेख 'क' और 'ख' क्षेत्र में नहीं है।  
(लक्ष्य: 65%)

#### 5. फाइलों पर हिंदी में कार्य

- (क) तिमाही के दौरान हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या : .....
- (ख) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या : .....
- (ग) लिखी गए कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या : .....
- (नोट : लक्ष्य : 75%)

6. (क) तिमाही के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या : .....
- (संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें)
- (ख) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए : हां/नहीं

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

अनुभाग/प्रभाग के प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर : .....

हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम : .....

हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पदनाम व स्टाम्प : .....

इंटरकॉम नं. : .....

नोट: 1.यह रिपोर्ट अनुभाग / प्रभाग के नियंत्रक अधिकारी से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जायेगी।

2.कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

के.वि.प्रा. की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की सूची

1. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. ।
2. सदस्य (जल विद्युत) के.वि.प्रा.।
3. सदस्य (ताप विद्युत) के.वि.प्रा.।
4. सदस्य (विद्युत प्रणाली) के.वि.प्रा.।
5. सदस्य (जी.ओ.डी) के.वि.प्रा.।
6. सदस्य (योजना) के.वि.प्रा.।
7. सदस्य (ई.एंड.सी) के.वि.प्रा.।
8. प्रधान मुख्य अभियंता-I, के.वि.प्रा. ।
9. प्रधान मुख्य अभियंता-II, के.वि.प्रा. ।
10. सचिव, के.वि.प्रा. ।
11. मुख्य अभियंता, पी.ए.सी. निदेशालय, के.वि.प्रा. ।
12. मुख्य अभियंता, डी.पी एंड डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
13. मुख्य अभियंता, एफ. एंड सी.ए. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
14. मुख्य अभियंता, लीगल प्रभाग, के.वि.प्रा.।
15. मुख्य अभियंता, एफ.एम. प्रभाग, के.वि.प्रा.।
16. मुख्य अभियंता, पी.एस.पी. एंड ए-1 प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
17. मुख्य अभियंता, टी.पी.ई. एंड सी.सी. प्रभाग, के.वि.प्रा.।
18. मुख्य अभियंता, पी.सी.डी. एवं राजभाषा प्रभारी, के.वि.प्रा. ।
19. मुख्य अभियंता, पी.एस.पी.एम. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
20. मुख्य अभियंता, आर.ई.एस.डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
21. मुख्य अभियंता, पी.एस.एल.एफ. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
22. मुख्य अभियंता, ग्रिड प्रबंधन के.वि.प्रा. ।
23. मुख्य अभियंता, आर. एंड डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
24. मुख्य अभियंता, एच.पी.एम. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
25. मुख्य अभियंता, एच.ई.आर.एम. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
26. मुख्य अभियंता, एफ.एस. एंड ए. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
27. मुख्य अभियंता, एच.ई.टी.डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
28. मुख्य अभियंता, टी.पी.एम. -I प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
29. मुख्य अभियंता, सी.ई.आई. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
30. मुख्य अभियंता, समन्वय प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
31. मुख्य अभियंता, एच.पी.ए. -I प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
32. मुख्य अभियंता, एच.पी.ए. -II प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
33. मुख्य अभियंता, एच.ई.पी.आर. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।

34. मुख्य अभियंता, डी.पी.आर. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
35. मुख्य अभियंता, एन.पी.सी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
36. मुख्य अभियंता, टी.पी.एम. -II प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
37. मुख्य अभियंता, टी.ई.टी.डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
38. मुख्य अभियंता, एच.पी.पी. एंड आई. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
39. मुख्य अभियंता, आर.ए. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
40. मुख्य अभियंता, पी.डी.एम. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
41. मुख्य अभियंता, टी.आर. एंड एम. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
42. मुख्य अभियंता, यू.एम.पी.पी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
43. मुख्य अभियंता, पी.एस.ई. एंड टी.डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
44. मुख्य अभियंता, पी.एस.पी. एंड पी.ए. - II प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
45. मुख्य अभियंता, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
46. मुख्य अभियंता, एच.आर.डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
47. मुख्य अभियंता, आई.आर.पी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
48. मुख्य अभियंता, टी.पी.पी. एंड डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
49. मुख्य अभियंता, टी.सी.डी. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
50. मुख्य अभियंता, ओ.पी.एम. प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
51. मुख्य अभियंता, डी.एम. (वितरण प्रबोधन) प्रभाग, के.वि.प्रा. ।
52. आर्थिक सलाहकार (ई.पी.डी), के.वि.प्रा. ।
53. निदेशक (प्रशा.) के.वि.प्रा. ।
54. संयुक्त निदेशक (रा.भा.) विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ।
55. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली ।
56. उप सचिव (बजट एवं लेखा), के.वि.प्रा. ।
57. उप सचिव (सतर्कता) के.वि.प्रा. ।
58. अवर सचिव (बजट एवं लेखा), के.वि.प्रा. ।
59. अवर सचिव (कार्मिक), के.वि.प्रा. ।